5280

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

File No.: PFRDA/17/08/11/0021/2017-SUP-SG

Date: 26.12.2023

To,
The Finance Controller
Ghaziabad Development Authority
Near Old Bus Stand, Ghaziabad Dev. Authority
Navyug Market, Ghaziabad
Uttar Pradesh,201001.

OSD (प्रशासन)
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
उपाध्यक्ष
दिनांक 27-01-024

महोदय/महोदया,
Dear Sir/Madam,

विषय: एनपीएस के तहत कार्मिक के विवरण (केवाईसी, मोबाइल नंबर, नाम परिवर्तन आदि) को कैप्चर करने/अपडेट करने के लिए यथोचित अध्यवसाय

Subject: Enhanced due diligence for capturing/updating of subscriber's details (KYC, Mobile no., Name change etc) under NPS

जैसा कि आप जानते हैं, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 देश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण को शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए अपने वैधानिक आदेश के तहत कार्य करते हुए, प्राधिकरण अपनी नीतियों, विनियमों, दिशानिर्देशों और प्रचार एवं विकास उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है।

As you are aware, the PFRDA Act, 2013 casts powers and responsibilities on the Authority to promote and regulate the implementation of the National Pension System (NPS) in the country. Acting under its statutory mandate to protect the interest of Subscribers for their old age income security, the Authority through its policies, regulations, guidelines and promotional & development measures has been overseeing implementation of National Pension System.

2676/PRO
27/1/2024

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517501, 26517503, फैक्स : 011--26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav
आज़ादी का अमृत महोत्सव

2. सरकारी कार्यालयों में एनपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, हम कुछ प्रमुख परिचालन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहेंगे, जिन पर एनपीएस के तहत किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/अनधिकृत गतिविधि को रोकने के लिए नोडल कार्यालयों द्वारा उचित ध्यान देना आवश्यक है।

In furtherance to our efforts for effective implementation of NPS in govt offices, we would like to highlight some key operational issues on which due attention of nodal offices are required to prevent any kind of fraudulent/unauthorised activity under NPS.

I. एनपीएस के तहत कार्मिक के पंजीकरण के समय केवाईसी दस्तावेज़ यानी, पीएमएलए अधिनियम के अनुसार ओवीडी (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आदि, जिसमें नाम और पता का विवरण हो) और पैन कार्ड एनपीएस पंजीकरण फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
At the time of registration of subscriber under NPS, the required KYC documents i.e., OVD as per PMLA Act (Passport, Driving License, Aadhar Card, Voter ID, NREGA card, National population Register etc. containing details of name and address) and PAN Card as prescribed, are to be attached with NPS registration form.

II. कार्मिक के प्रोफ़ाइल में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध, जैसे नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तारीख आदि को पहले स्तर पर डीडीओ द्वारा उक्त ग्राहक के सेवा रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरण के साथ अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी कारण से नाम बदलने के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेज (जैसा लागू हो) अनिवार्य हैं - स्व-सत्यापित गजट प्रति या विवाह प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, पुराने नाम में स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण, नए नाम में स्वप्रमाणित पहचान प्रमाण, नए नाम के साथ सेवा रिकॉर्ड का उद्धरण।
Any request for change in subscriber profile i.e., Name, Date of Birth, Date of Retirement etc must be mandatorily verified with the details available in-service record of the said subscriber by the DDO at first level. Further, In case of Change of name due to any reason, following documents (as applicable) are mandatory- Self-attested gazette copy or the self-attested copy of marriage certificate, Self-attested Proof of Identity (POI) in old name, Self-attested POI in the new name, Extract of service records with new name.

III. डीटीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन बैंक खाते में कार्मिक का नाम, सेवा रिकॉर्ड में नाम और एनपीएस खाते (पीआरएएन) में नाम सभी समान हैं।
DTO must additionally ensure that name of subscriber in Salary Bank Account, Name as in service record and Name as in NPS Account (PRAN) are all same.

IV. कार्मिकों के एनपीएस खाते में कोई भी बदलाव/संशोधन कार्मिक से अंतर्निहित अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे अनुरोध को सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसे कार्मिक के सेवा रिकॉर्ड में संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे सीआरए सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए।

Any change/modification in subscribers NPS account must be carried out only after receiving underlying request from subscriber. Also, such request along with supporting documents should be preserved in service record of such subscriber and the same is to be uploaded on CRA system.

V. नोडल कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण फॉर्म में कार्मिक का सही मोबाइल नंबर, पैन विवरण और नामांकन दर्ज किया गया है। इसके अलावा, जिन कार्मिकों के एनपीएस खाते में मोबाइल नंबर, पैन विवरण और नामांकन मौजूद नही है, ऐसे मामलों को अपडेट करने के लिए प्राथमिकता पर लिया जा सकता है। इस संबंध में आपके कार्यालय के लिए पीआरएएन-वार डेटा सीआरए से मांगा जा सकता है।

Nodal offices must ensure that correct mobile number, PAN details and nomination are captured in registration form. Further, where mobile no., PAN details and nomination are missing in NPS account, such cases may be taken up at priority for updating. PRAN wise data for your office in this regard maybe sought from CRA.

3. यह भी उल्लेख करना उचित है कि, किसी भी प्रकार की साइबर सुरक्षा घटना को रोकने और डिजिटल सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, पीएफआरडीए ने डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर दिनांक 20 मार्च 2023 (इसकी प्रति पीएफआरडीए वेबसाइट पर उपलब्ध है) को सलाह जारी की है जिसका नोडल कार्यालयों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

Also, it is pertinent to mention that, to prevent any kind of cyber security incident and to promote digital safety best practices, PFRDA has issued an Advisory on Digital safety practices dated 20th March 2023 (Copy of the same is available on PFRDA website) and the same should be strictly adhered to by the nodal offices.

4. इसके अलावा, सीआरए प्रणाली में लॉग इन करने और एनपीएस के तहत संबंधित गतिविधियों को करने के लिए डीडीओ, डीटीओ और डीटीए को अलग-अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि उस आईडी और पासवर्ड को किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए और केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपयोग किया जाना चाहिए।

Further, Separate Login ID's and Password have been allocated to DDOs, DTOs and DTAs for accessing the CRA system and carrying out respective activities under NPS. In this regard it is important that that ID and password should not be shared with anyone and must be used by authorized person only.

5.एनपीएस के कार्यान्वयन में नोडल कार्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एनपीएस में कार्मिक के पंजीकरण से शुरू होती है और निकासी को अधिकृत करने तक जारी रहती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को आंतरिक ऑडिट के दायरे में शामिल किया जा सकता है ताकि आपके कार्यालय में एनपीएस के कार्यान्वयन में यदि कोई चूक हो तो उसका निपटारा किया जा सके।

The role of Nodal offices in implementation of NPS is of paramount importance as it starts from registration of subscriber in NPS and continues till authorization of Exit/Withdrawal. Therefore, it is suggested that NPS related activities may be included in scope of internal audit so that lapses if any in implementation of NPS in your office may be eliminated.

सादर / Yours Sincerely,

(सुधीर सिंह)/(Sudhir Singh)

उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager